संख्या–546 / 43–2–2009

प्रेषक,

के0के0सिन्हा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त प्रमुख सचिव / सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।
2–समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।
3–समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
4–समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक 25/5 2009

विषय :– समस्त लोक प्राधिकारी कार्यालयों और उसकी समस्त इकाईयों में जन सूचना अधिकारियों द्वारा अपने स्थानान्तरण के समय अपने उत्तराधिकारी को सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत कार्यो का अलग से चार्ज सौंपने के संबंध में।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत है कि लोक प्राधिकरणों के नियंत्रणाधीन सूचनाओं तक नागरिकों की पहुँच सुनिश्चित करने तथा लोक प्राधिकरणों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने व सूचना के प्रवाह को व्यवहारिक बनाने के उद्देश्य से सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 दिनांक 12 अक्टूबर 2005 से पूरे देश में प्रभावी है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्राविधानों के प्रभावी कार्यान्वयन में जन सूचना अधिकारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है।

2– अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने नियंत्रणाधीन समस्त लोक प्राधिकारी कार्यालय और उनकी समस्त इकाईयों में नामित जन सूचना अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाय

— —

कि वे अपने स्थानान्तरण के समय अपने उत्तराधिकारी को कार्य भार सौंपते समय सूचना का अधिकार अधिनियम का पूरा विवरण समझा दें तथा सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सम्पादित किये जा रहे कार्यों का अलग से चार्ज सौंपे।

कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(के0के0सिन्हा)
प्रमुख सचिव।

Search easily on www.bhartiyashasanadesh.org